भारत में सूचना का अधिकार: समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

गौरव मेघवाल

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

सारांश:

प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में सूचना की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ है जिसमें आम जनता को प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिला है। इसके साथ ही इसके शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ी है और भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन पर रोक लगी है। हालांकि इस कानून के संदर्भ में अभी भी कुछ समस्याएं एवं चुनौतियां है जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। जिससे देशभर में एक समान, सस्ती और आसान सूचना उपलब्ध कराई जा सके और शासन एवं प्रशासन में आमजन की भागीदारी बढ़ सके। प्रस्तुत शोध-पत्र पूर्णतः द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है जिसमें गुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है और प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में जनता को यह अधिकार दिया गया है ताकि आम जनता सरकारी कामकाजों और उनकी प्रक्रियाओं की गहराई में जाकर सरकार से सवाल कर सकें जिससे आम लोगों को सरकार द्वारा लिए गए उचित और अनुचित निर्णयों का पता चल सके। एक विकासशील या विकसित देश के लिए ऐसा होना अति आवश्यक है। इस अधिकार द्वारा सरकारी तंत्र या शासन व्यवस्था के गलत इस्तेमाल एवं दुरूपयोग पर रोक लगने के साथ साथ भ्रष्टाचार एवं कुशासन को बढावा नहीं मिलता तथा सरकारी तंत्र में पारदर्शिता झलकती है जिससे शासन और आप जनता दोनों एक दूसरे के करीब आते है और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हो जाता है एवं सुशासन को बढ़ावा मिलता है।

सुशासन के मूल तत्वों में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, उपर्युक्त कानूनी परिवेश तथा लोकप्रबंधन को प्रमुख स्थान दिया गया है। वर्तमान में सुशासन की प्रमुख आवश्यकताओं जिससे हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है, उसमें सर्वप्रमुख स्थान सूचना का अधिकार या सूचना की स्वतंत्रता है। यही वह लोकतांत्रिक हथियार है जिसके माध्यम से उपरोक्त चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर सुशासन स्थापित किया जा सकता है जिसमें उसकी मदद नवीनतम सूचना प्रौद्योगिक तकनीक है जो शासन एवं प्रशासन को दक्ष व पारदर्शी बना सकती है। सूचना के अधिकार की मांग वंचित एवं सुविधा विहीन लोगों के सम्मान और उनकी आजिविका की समस्याओं के प्रति शासन तंत्र के भ्रष्ट और मनमाने आचरण के खिलाफ लंबे समय की आवश्यकता के रूप में उठी है।

विश्व में सूचना के अधिकार का प्रयोग

वर्तमान में विश्व के 50 से अधिक देशों में सूचना का अधिकार कानून लागू किया जा चुका है और उसमें आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किया जा चुके है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता की परिकल्पना बिना सूचना के अधिकार के संभव नहीं है। आर्थिक अधिकारों, आर्थिक भागीदारी, आर्थिक लाभ के वितरण सभी में सूचना एक महत्वूपर्ण आधार है। वर्तमान में मांग और उसकी वैश्विक अवधारणा को आय स्वीकृति के फलस्वरूप पारदर्शिता व उत्तरदायित्व की मांग बढी है जिसके परिणाम

स्वरूप सूचना के अधिकारों की मांग बढ़ी है। विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशो में सूचना के अधिकार का प्रयोग शताब्दियों से किया जा रहा है, जिनमें सर्वप्रथम स्वीडन में सन् 1766 में प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में सूचना के अधिकार का प्रयोग आरंभ हुआ।

फ्रांस की सन् 1789 की क्रांति द्वारा अनेक व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा की गई जिनमें अनुच्छेद-14 में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्ति को बराबर व नीतियों के संदर्भ में सूचना दी जानी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सन् 1966 में स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया जो सन् 1967 से प्रभावी हुआ। इसी प्रकार सन् 1982 में न्यूजीलैंड़ में आधिकारिक सूचना अधिनियम लाया गया। इस प्रकार विश्व में अनेक देशों में वर्तमान में सूचना का अधिकार प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

भारत में सूचना का अधिकार: एक परिचय

भारत में सूचना के अधिकार की शुरूआत राजस्थान में एक छोटे शहर ब्यावर के मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा सन् 1994 में एक जन सुनवाई द्वारा हुई जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा गणमान्य नागरिकों के बीच रिकार्डो से प्राप्त सूचनाएँ पढ़ी गई और इनमें हुई धांधलियों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया। इसी से 13 अक्टूम्बर 2005 में लागू होने वाले सूचना के अधिकारों की नीवं पड़ी।

हालांकि 17 अप्रैल 1996 को तमिलनाडू यह कानून पारित करने वाला पहला राज्य बना। भारत सरकार ने यह कानून पारित कर लोकतंत्र को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा सशक्त कदम उठाए जिससे भष्ट्राचार और कुप्रबंधन को रोका जा सके और नागरिक सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को अधिक भागीदारी के साथ समझा जा सके।

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2005

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों के साथ कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका इस अधिकार क्षैत्र में है। इसके अतिरिक्त सरकार से सहायता एवं अनुदान प्राप्त संगठन, संस्थाएं, स्कूल, व्यापारिक संस्थान भी इसके दायरे में आते है। इस कानून में सूचना शब्द की विस्तृत परिभाषा दी गई है और इस अधिनियम की धारा-2 के अनुसार सूचना के अधिकार का आशय किसी लोक प्रधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुँच से है। सूचना की परिभाषा में निर्माण, दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्डका निरीक्षण भी शामिल है और उनके प्रमाणित उद्हरण भी सत्यापन के लिए प्राप्त किए जा सकते है। इस प्रकार यह कानून केवल फाईलो एवं दस्तावेजो तक ही सीमित नहीं है बल्कि जनता को भी जमीनी हकीकत की जांच की क्षमता प्रदान करता है।

इस कानून के अन्तर्गत शिकायतों एवं अपीलों के उचित एवं समयबद्ध निस्तारण की भी व्यवस्था की गई हैं जिससे इन शिकायतों का निवारण प्राप्त किया जा सके। अनुचित विलंब के लिए सूचना आयोग द्वारा 250 रूपयें प्रतिदिन तथा अधिकतम 25000 रूपये तक का दंड किया जा सकता है।

इस प्रकार इस कानून के लागू होने से देशभर में सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिला है तथा भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर उचित रोक लगी है। इसके साथ ही अफसरशाही के मनमाने तरीकों पर भी रोक लगी है और वे जनता के प्रति संवेदनशील हुए है।

आलोचनात्मक सिंहावलोकन:-

अब तक सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में अनेक विवादास्पद मुद्दों पर अपना ध्यान खींच चुका है। इसके साथ साथ इसके सामने अनेक चुनौतियां भी उभरी है जिनमें प्रमुख रूप से इसके क्रियान्वयन में व्याप्त कमियों को कैसे दूर किया सके। सूचना

द्वारा प्राप्त कमियों की शिकायतों का निवारण भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है और इसमें जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को अभी तक दंडित नहीं किया जा सका है। इस कानून के क्रियान्वयन पर होने वाला खर्च भी चिंता का विषय है। कुल लोग सूचना के बदले लिये जाने वाले शुल्क को भी उचित नहीं मानते है।

सरकार यदि इस अधिनियम को उचित तरीके से बढ़ावा देना चाहती है, तो देशभर में एक समान, सस्ती और आसान सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे आमजन को राहत मिल सके और देश में सुशासन कायम हो सके। इस कानून के उचित क्रियान्वयन के लिए जन चेतना और जागरूकता लायी जानी आवश्यक है। इसके साथ ही सूचना आयुक्तों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान अधिनियम सुशासन के संदर्भ में न केवल माध्यम बनेगा बल्कि एक कसौटी भी साबित होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. डोगरा, भारत: सूचना का जन अधिकार (नई दिल्ली, कुलश्रेष्ठ, 2003)
2. सैनी एंड मंगलानी: सूचना का अधिकार (पंचकुला, हरियाणा: हरियाणा साहित्य अकादमी, 2002)
3. योजना (मासिक पत्रिका), अंक जनवरी, 2006, सूचना अधिकार विशेषांक (नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग भारत सरकार, 2006)
4. पाण्डेय, राजेश,: सूचना का अधिकार अधिनियम (नई दिल्ली: डायमंड बुक्स, 2012)
5. गुप्ता, सुनील एंड के. के. सिंह, ‘‘सुशासन‘‘ (नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, 2011)
6. Pande, Suchik S. Singh, 'Right to Information Act 2005 : A Primer (New Delhi, National Book Trust, 2007)

Contributors Details :

गौरव मेघवाल

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मोहनलाल
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

मो. नं.: 9928364024

ई-मेल: luv1702@gmail.com